झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

सं०सं०:– 04 / छात्रवृत्ति(प्रवेशिकोत्तर)–10 / 2017–क०– 85

प्रेषक,

सी०के० सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा मे,

सभी परियोजना निदेशक,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांकः– 08.01.18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदनों की जाँच की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्धारित तिथि 31.12.2017 तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों की जाँच पूर्ण कर लेने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था। इसके बावजूद धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा एवं गोड्डा जिलों में डी०ए० लेवल पर आवेदन पत्र लंबित रह गये हैं।

साथ ही, आप अवगत हैं कि डी०ए० लेवल पर लंबित किये जा रहे छात्रों के आवेदन पत्रों को सुधारने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर जो आवेदन पत्र 17 दिसम्बर, 2017 के बाद निष्पादित किये गये थे उनमें से लंबित रखे गये छात्रों को अपने आवेदन पत्रों में सुधार हेतु 15 दिन की अवधि प्राप्त होनी थी परन्तु उक्त तिथि के पश्चात् लंबित रखे गये छात्रों को अपने आवेदन में सुधार हेतु 15 दिन की अवधि नहीं प्राप्त हो सकी। इस प्रकार छात्रों द्वारा आवेदन पत्रों में सुधार की कार्रवाई ससमय नहीं की जा सकी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि :–

1. डी०ए० लेवल पर लंबित किये गये आवेदन पत्रों को सुधार करने के लिए अवधि विस्तार दिनांक– 12.01.2018 तक किया जाता है।
2. डी०ए० लेवल पर जाँच एवं सभी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अवधि विस्तार 13.01.2018 तक किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अवधि में सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक– 15.01.2018 के पूर्व जिला स्तरीय छात्रवृत्ति कमिटि की अनुशंसा प्राप्त करते हुए छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई पूर्ण की जाए।

विश्वासभाजन

8/1/18

(सी०के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\sunny\N.N. SIR\hindi letter